सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 एवं ज्ञापांक/ 2905 दिनांक 11.07.2014 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, अन्तर्गत माननीय स0वि0प0 सारण श्री सच्चिदानंद राय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 - 17 के लिए प्रखंडवार/ नगरनिकायवार अनुशंसित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल - 01 छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 2593 / दिनांक 09.12.2016 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है । अत: कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल - 01 छपरा के द्वारा प्रदत तकनिकी स्वीकृति की राशि पर निम्नलिखित योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही निदेश है, कि निम्नांकित योजनाओं का संबंधित अंचलधिकारी से जमीन सरकारी होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाए।

क्र0	प्रखंड	स्वीकृति योजना का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6
1	जलालपुर	जलालपुर प्रखण्ड मुख्यालय में शौचालय बोरिंग पानी टंकी सहित सभागार का निर्माण।	1442700.00	1442700.00	श्री सच्चिदानंद राय
2	गरखा	गरखा प्रखण्ड मुख्यालय में शौचालय बोरिंग पानी टंकी सहित सभागार का निर्माण।	1442700.00	1442700.00	"
3	लहलादपुर	लहलादपुर प्रखण्ड मुख्यालय में शौचालय बोंरिग पानी टंकी सहित सभागार का निर्माण।	1442700.00	1442700.00	"
4	एकमा	एकमा प्रखण्ड मुख्यालय में शौचालय बोरिंग पानी टंकी सहित सभागार का निर्माण।	1442700.00	1442700.00	"
5	बनियापुर	बनियापुर रेफरल अस्पताल परिसर में शौचालय सहित प्रतिक्षालय क निर्माण।	1324455.00	1324455.00	"
6	बनियापुर	बनियापुर प्रखण्ड मुख्यालय में शौचालय बोंरिग पानी टंकी सहित सभागार का निर्माण।	1442700.00	1442700.00	"
7	मशरख	मशरख प्रखण्ड मुख्यालय में शौचालय बोंरिग पानी टंकी सहित सभागार का निर्माण।	1442700.00	1442700.00	"
8	मॉझी	मॉझी प्रखण्ड मुख्यालय में शौचालय बोंरिग पानी टंकी सहित सभागार का निर्माण।	1442700.00	1442700.00	"
		कुल योग	11423355.00	11423355.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- (एक करोड़ चौदह लाख तेईस हजार तीन सौ पचपन) मात्र ।

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकत योजनाओं का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता , स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल - 01 छपरा के द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255/ दिनांक 23.06.2014 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार- प्रसार के द्वारा विभागीय / निविदा के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाए।

कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे की स्थल विवादग्रस्त नही है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पडती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जाय।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, सरकार के पत्रांक 5225 /दिनांक 23.09.2014 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहित के प्रावधानों के अनूरुप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।
4. स्वीकृति प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरुप योजना - कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पटट लगाना सूनिश्चत करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटो ग्राफी/ विडियों ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण - पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानातरित किया जा सके ।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रुप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले । यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल, के नाम से निबंधित करने के पश्चात ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जवाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, सारण, छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

ह०—

जिला योजना पदाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 724/यो0 दिनांक 22.12.16/

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल - 01 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित/ क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण, प्रमंउल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0 टी0 मैनेजर एन0आई0सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सूनिश्चित करे/ संबंधित अंचलाधिकारी जिला सारण, को सूचनार्थ एवं निदेश है, कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/16

जिला योजना पदाधिकारी

सारण,छपरा